



प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड

देहरादून : दिनांक : 11 सितम्बर, 2019

महोदय,

कृपया कुलपति के पत्र संख्या : मान्यता/के०यू०/2019-2020/477 दिनांक 18 जुलाई, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा बजाज कॉलेज ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी, गदरपुर, उधमसिंहनगर को बी०एससी० (गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान) पाठ्यक्रम में सत्र 2019-20 से 2021-22 तक की नवीन अस्थाई सम्बद्धता का प्रस्ताव कुलपति की संस्तुति के साथ उपलब्ध कराया गया है।

2- यू०जी०सी० विनियमों के अनुसार वर्ष दर वर्ष के आधार पर सम्बद्धता निर्गत किये जाने के पूर्व निर्णय के क्रम में संस्थान को शैक्षिक सत्र 2019-20 के सम्बद्धता प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल व कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37 (2) के अन्तर्गत मा० कुलाधिपति महोदया द्वारा उक्त संस्थान को बी०एससी० (गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान) पाठ्यक्रम में 60 सीट के साथ सत्र 2019-20 हेतु नवीन अस्थाई सम्बद्धता के प्रस्ताव पर पूर्व स्वीकृति/पूर्वानुमोदन इस उपबन्ध के साथ प्रदान कर दी गई है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या/संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय कार्यपरिषद द्वारा यू०जी०सी० विनियमों व नियामक संस्था के आवश्यक मानक पूर्ण होने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्यवाही करे, व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मा० कुलाधिपति महोदया के अवगतार्थ भी उपलब्ध कराई जाय।

3- अग्रेत्तर वर्षों हेतु सम्बन्धित वर्षों में यथा समयसारिणी प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

4- तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(रमेश कुमार सुधांशु)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या 2109 (1)/जी०एस०/शिक्षा/ A3-15(1)/2019 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य, सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(विक्रम सिंह यादव)
कुलाधिपति के संयुक्त सचिव।